निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण 1938 (श0)

(सं0 पटना 1018) पटना, मंगलवार, 29 नवम्बर 2016

सं0 08/आरोप–01–35/2014,सा०प्र०—13537

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

4 अक्तूबर 2016

श्री नरेन्द्र नाथ, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–993/08, 766/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, पकड़ीदयाल–सह–निर्वाची पदाधिकारी, तेतरिया के विरूद्ध पंचायत चुनाव कार्य (वर्ष–2006) में अनियमितता बरतने संबंधी कतिपय आरोपों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–5093, दिनांक 24.07.2006 द्वारा आरोप, प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। निर्वाची पदाधिकारी के रूप में श्री नाथ के विरूद्ध ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार श्री इन्द्रजीत यादव का नामांकन रद्द करने एवं बाद में अनियमित तरीके से नामांकन प्रपत्र बदल कर उसे वैद्य घोषित करते हुए नामांकन पत्र, प्रपत्र–7 प्रकाशित कराने का आरोप प्रतिवेदित हुआ।

2. विभागीय पत्रांक–8456, दिनांक 28.08.2006 द्वारा श्री नाथ से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण माँग गया। इस हेतु विभागीय पत्रांक–10204, दिनांक 11.10.2010, पत्रांक–10166, दिनांक 08.09.2011, पत्रांक–486, दिनांक 11.01.2012 द्वारा उन्हें स्मारित किया गया परन्तु यथा वांछित स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। उक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7971, दिनांक 04.06.2012 द्वारा श्री नाथ के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी यथा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक–34, दिनांक 11.01.2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें श्री नाथ के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित बताया गया। विभागीय कार्यवाही में सुनवाई हेतु निर्धारित विभिन्न तिथियों पर समुचित सूचना दिये जाने के बावजूद श्री नाथ के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में संचालन पदाधिकारी के स्तर से उन्हें प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सुनवाई में उपस्थित होने का निदेश दिया गया। पर्याप्त अवसर देने के बाद भी श्री नाथ उपस्थित नहीं हुए। संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर उनके विरूद्ध गठित आरोपों पर अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

4. विभागीय पत्रांक–1858, दिनांक 05.02.2016 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपों पर श्री नाथ से बचाव बयान/द्वितीय कारण–पृच्छा स्पष्टीकरण माँगा गया जो उनसे अप्राप्त रहा। अन्ततः आरोप, प्रपत्र 'क' एवं जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरान्त नामांकन पत्र, प्रपत्र–7 के प्रकाशन में अनियमितता बरतने संबंधी प्रमाणित आरोपों एवं स्पष्टीकरण माँगने पर उत्तर नहीं देने, विभागीय कार्यवाही में लगातार सूचना देने के बाद भी अनुपस्थित रहने एवं द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर नहीं देने जैसी अनुशासनहीनता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 14 के तहत श्री नाथ के विरूद्ध (i)

तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक (ii) प्रोन्नति पर पाँच वर्षों तक रोक (प्रोन्नति देयता तिथि से) का दंड अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया गया।

विभागीय पत्रांक–9604, दिनांक 12.07.2016 द्वारा उक्त विनिश्चित दंड (कंडिका (i)) पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–1834, दिनांक 20.09.2016 द्वारा प्रस्तावित दंड पर सहमति संसूचित की गयी।

5. अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 14 के तहत श्री नाथ के विरूद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :–

(i) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) प्रोन्नति पर पाँच वर्षों तक रोक (प्रोन्नति देयता तिथि से)।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1018–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in